न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 38 / 2011

उनवान

बाबूशाह पुत्र गफूरशाह जाति फकीर निवासी ग्राम गूढा, अजमेर।
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री मौहम्मद इकबाल

बनाम

1. बशीरन बेवा पत्नी गफूरशाह नि0 ग्राम गूढा, अजमेर।
2. नवाबशाह
3. सुल्तानशाह
4. बतूर पि0 गफूरशाह जाति फकीर नि0 ग्राम गूढा, अजमेर।
5. महावीर सिंह पुत्र लादू जाति रावत नि0 बडलिया, अजमेर।
6. राज्य सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— अप्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– दिनांक :– 17.3.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लीरी का बाडिया प0म0 श्रीनगर की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी की है तथा बराबर हिस्से में अंकित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
17 / 197	5	0.04
	18	0.36
	33	0.40
	35	0.11
	52	0.26
	किता 5	1.17

उक्त आराजरी अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 को पंजीबद्ध कर दिया है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 अजनबी केता है। जिसके नाम आराजी [illegible] किया जाता है तो वाद बहुलता होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को जरियें अ[illegible]ाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय से पूर्व आराजी मुतनाजा का बंटवारा नही हुआ है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने मात्र अपने हिस्से [illegible] किया है। अप्रार्थी संख्या 5 जो उक्त आराजी का केता है ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...उनके अनपढ होने का फायदा उठाते हुये विकय पत्र में सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करना अंकित कर लिया। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के कारण विकय पत्र का नामान्तकरण ...है जिस कारण जवाबकर्ता को 50, 000/ रूपये प्राप्त नही हुये है। अतः प्रार्थना पत्र ...फरमाया जावे।

...अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनजा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ...साथ लाली पुत्री गफूरशाह का 1/7 हिस्सा निहित था। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 बशीरन ने बहैसियत मुख्तयारनामा जवाबकर्ता को विकय किया है। इस प्रकार जवाबकर्ता का कुल 17/28 हिस्सा निहित है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर 1/4 हिस्सा तथा खातुन पुत्री गफूरशाह का 1/7 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन मौके पर हो चुका है। उसी के अनुरूप अप्रार्थी संख्या 5 को भूमि के हिस्से का विकय किया है। जवाबकर्ता उसी के अनुरूप भूमि पर काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी गफूरश्याह पुत्र भूराश्याह के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 05.10.10 से गफूरश्याह की विरासत बशीरन पत्नी गफूरश्याह, बाबूशाह, नवाबशाह, सुल्तानशाह, पुगण गफूरश्याह, बतुर, खातुन व लाली पुत्री गफूरश्याह के नाम दर्ज हुयी इस प्रकार स्पष्ट है कि गफूरश्याह के 7 वारिस के नाम आराजी मुतनाजा दर्ज हुयी। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 4.11.10 द्वारा परित्याग से बाबूशाह का 3/28 व सुल्तानशाह को 2/28 हिस्सा दर्ज किया गया। दिनांक 14.03.11 को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा बशीरन स्वयं ने व लाली की पावॅर होल्डर द्वारा तथा नवाबशाह व सुल्तानशाहव बतूर ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 को विकय कर कब्जा व दखल सौप दिया। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 17/28 हिस्सा व खातुन का 1/7 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अन्य सहखातेदार का हिस्सा कय किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 उक्त आराजी पर सह खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने भी अपने जवाब में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा का मौके पर विभाजन हो गया है। जिसके अनुरूप भूमि का विकय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपना हिस्सा विकय कर दिया है उक्त आराजी पर उनका कोई हक व अधिकार शेष नही है। अन्य सहखातेदार खातुन ने अपना हिस्सा विकय नही किया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद अविभाजित आराजी को बैचान नही करने का है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। अप्रार्थी संख्या 5 सद्भावी केता है जिसे पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य का निर्धारण मूल वाद में किया जावेगा अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 5 का कथन है कि रेकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 सद्भावी केता है जिसे पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा मौके पर विभाजन से प्रापत हिस्से का विकय किया है। विशिष्ट भाग का बैचान नही किया गया है। अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे। किन्तु प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा भूमि बैचान करने के बाद भी प्रार्थी के हिस्से में दखलदांजी नही करने हेतु उन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

आदेश :– अतः ग्राम लीरी का बाडिया प0म0 श्रीनगर की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:44 IST
Reason: SelfAttested